न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 17/19 GCMS NO 2019/00049

1. रामजीलाल पुत्र सुका जाति माली (फौत)
2. छोटे लाल पुत्र सुका
3. शिवकुमार पुत्र छोटेलाल जातियान माली निवासीयान धनीराम सरपंच का पुरा करौली

अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

बनाम

1. अमर सिह
2. फूल सिह
3. लवकुश
4. भगवान सिह पुत्रान बृजलाल जातियान माली निवासीयान धनीराम सरपंच का पुरा करौली
5. अमर बाई पुत्री बृजलाल
6. ममता पुत्री बृजलाल
7. तुरसा बेवा बृजलाल जाति माली निवासी धनीराम सरपंच का पुरा करौली
8. हरिलाल पुत्र गब्बू (फौत)

8/1. सामन्ती पत्नि हरिलाल
8/2. रामदेव
8/3. लाखन पिसरान हरिलाल जाति माली निवासी धनीराम सरपंच का पुरा करौली
8/4. लखन बाई
8/5. अनका
8/6. मीरा
8/7. पिस्ता
8/8. रेखा पुत्रियान हरिलाल जातियान माली निवासीयान धनीराम सरपंच का पुरा करौली

9. बृजमोहन पुत्र गब्बू (फौत)

9/1. पिन्टू पुत्र बृजमोहन
9/2. बसन्ती पत्नि बृजमोहन जाति माली निवासी धनीराम सरपंच का पुरा करौली

10. कल्याण पुत्र गब्बू जाति माली निवासी धनीराम सरपंच का पुरा करौली
11. तहसीदार तहसील करौली
12. रामजीलाल पुत्र सूका (फौत)

12/1. भरतू
12/2. भल्ली
12/3. प्रहलाद पिसरान रामजीलाल जाति माली निवासी धनीराम सरपंच का पुरा करौली
12/4. शकुन्तला पुत्री रामजीलाल
12/5. गुल्लो पत्नि रामजीलाल जाति माली निवासी धनीराम सरपंच का पुरा करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 [illegible]/16 निर्णय दिनांक [illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible])

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम प्रकाश [illegible]

अभिभाषक रैस्पो0 श्री रामजीलाल अग्रवाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दिनांक 13.11.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.1.19 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि कस्बा करौली मे धनीराम सरपंच का पुरा की आराजी ख0न0 1497,1498,1583,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594, 1595,1596,1597,1598,1599,1617,1618,1619,1620,1621,1623,1898,1899,1900,1901,1902,1910, 1911,1912,1980, कुल किता 33 कुल रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा कस्बा करौली मे स्थित है। जिसके नवीन ख0न0 1343,1344,1455,1456,1459,1439,1438,1356,1438,1440,1441,1442,1357,1358,1355, 1443,1354 मि0 1448,1444,1445,1446,1458,1456, मि01455 मि01638,1639,1636,1637,1653,1633, 1635,1642,1632,1653 मि01633 मि01634,1633 मि01653 मि0 एवं 1584 बने है। उक्त आराजीयात पुश्तैनी परपिता नथुआ के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। यह आराजीयात सम्वत 1966 मे रतना वल्द नथुआ तथा लोहरे वल्द कसाले की खातेदारी व कब्जे काश्त मे रही है। जो खाता पर्चा खतौनी सम्वत 1966 से स्पष्ट है। सम्वत 1966 के बाद लोहरे बल्द कसाले लाऔलाद फौत हो गया तब सम्वत 1966 मे दर्ज आराजीयात साबिक ख0न0 के 1343,1344,1455,1456,1459,1439, 1438,1356,1438,1440,1441,1442,1357,1358,1355,1443,1354 मि0, 1448,1444,1445,1446,1458, 1456 मि0, 1455 मि0, 1638,1639,1636,1637,1653,1633,1635,1633,1642,1632,1653 मि0,1633मि0, 1634,1633 मि0,1653 मि0 एवं 1584 रतन पुत्र नथुआ के खातेदारी व काश्तकारी मे रही है। और रतन के फौत होने के उपरान्त उक्त आराजीयात सूका के वारिसान गैरसायल संख्या 1 व 2 तथा 3 व 4 के पिता श्यामलाल एवं गब्बू पुत्र कुन्दन के बराबर बराबर खातेदारी व कब्जे काश्त मे रही है। और सायलान का उक्त आराजीयात मे 1/8 हिस्सा रहा है किन्तु गब्बू की नादानी एवं सम्वत 1966 के रिकार्ड की अनउपलब्धता होने के कारण एवं इसका नाजायज फायदा गैरसायलान न0 1 व 2 तथा 3 व 4 के पिता श्यामलाल ने सायलान की आराजीयात के 1/8 हिस्से को गलत तौर पर गैरसायलान रामजीलाल,छोटेलाल,श्याम्लाल ने गब्बू के दीगर वारिसान से साज करके सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1497,1498 ,1583, 1585, 1586, 1587, 1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594, 1595,1596,1597, 1598, 1599, 1617,1618, 1619,1620, 1621,1623, 1898,1899,1900,1901,1902,1910, 1911,1912,1980, कुल किता 33 कुल रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा के 1/8 हिस्से को भी अपने नाम गलत आधार पर कराकर हम सायलान को उनके उचित फल एवं अधिकारो से वंचित कर दिया जो गैर कानूनी है और गैरसायलान संख्या 1 व 2 तथा 3 व 4 के पिता श्यामलाल ने प्राप्त डिकी हमारे अधिकारो पर बेअसर है और निष्प्रभावी है। क्योकि हम सायलान ने सम्वत 1966 के रिकार्ड की खोजबीन की तो जानकारी मिली कि यह विवादित आराजीयात हमारे पूर्वज रतन के खातेदारी [illegible] काश्त की रही है। इसलिए गैरसायलान ने दीगर गैरसायलान से साज [illegible] 10.4.96 को पारित डिकी हमारे अधिकारो पर बेअसर है। और सम्वत 1966 के रिकार्ड के मुताबिक हमारा विवादित भूमि मे 1/8 हिस्सा रहा है और सूका ने रतन व रतन के लडके कुन्दन के फौत होने पर गब्बू दूधा पिता बच्चा था कुन्दन के लडके गब्बू की नाबालिंगी का फायदा उठाकर सायलान को उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उचित अधिकारो से गैर कानूनी तरीके से वंचित कर दिया इसलिए सायलान आराजीयात खसरा न0 1497,1498,1583,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594, 1595,1596,1597, 1598, 1599,1617,1618,1619,1620,1621,1623,1898,1899,1900,1901,1902,1910, 1911,1912,1980, कुल किता 33 कुल रकबा 11 बीघा 4 विस्वा के अपने 1/8 हिस्से की आराजीयात की घोषणा अपने नाम कराने के अधिकारी है और हमारे अधिकारो की हद तक पारित डिक्री निरस्त होने योग्य है तथा अपने हिस्से की आराजीयात का बंटवारा कराने का अधिकारी है। विवादित आराजीयात के कब्जे काश्त सायलान से गैरसायलान अनाधिकार जबरन काश्त करने की एवं हरे नीम,बबूल वगै0 के पेड़ो को काटने की एवं बेचान करने की धमकी दी जा रही है। इसलिए सायलान गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। इसलिए गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी के काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करे ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावे तथा खेतो पर खडे हरे पक्षो को नही काटे। सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किये जाने से व्यथित होकर गैरसायलान/अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता न अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश तथ्यो के एवं खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। सायलान/रेस्पो0 ने अपने आपको गब्बू का वारिस बताते हुए अधिनस्थ न्यायालय मे दावा घोषणा खातेदारी का पुश्तैनी आधार पर पेश किया है जबकि विवादित आराजीयात के संबंध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली से उनवानी दावा रामजीलाल बनाम गब्बू मु0न0 8/87 दिनांक 10.4.96 को अपीलांट का दावा डिक्री किया गया और विवादित जमीनो को हम अपीलांट वसमूल श्यामलाल वाहिद खातेदार काश्तकार काबिज माना जिसकी अपील संख्या 29/96 उनवानी गब्बू बनाम रामजीलाल न्यायालय हाजा मे पेश की गई। जो दिनांक 30.4.97 को खारिज की गई। जिसके विरूद्व द्वितीय अपील राजस्व मंडल अजमेर मे 55/97 को दिनांक 28.11.01 तथा रिब्यू पीटीशन दिनांक 30.7.02 को माननीय राजस्व मंडल द्वारा खारिज की गई तथा रिट पीटीशन न0 563/2003 उनवानी गब्बू (हरी एल आर) बनाम स्टेट आफ राज. को दिनांक 16.8.16 तथा स्पेशियल रिट पीटीशन न0 1257/2016 गब्बू (हरिलाल एल आर) बनाम स्टेट आफ राज. दिनांक 13.4.17 को खारिज हो चुका है। माननीय मण्डल तक मुकदमा गब्बू ने लडा था तथा गब्बू के फौत होने पर गब्बू के वारिसान हरि द्वारा लडा [illegible] सायलान रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 के पिता बृजलाल पुत्र गब्बू पक्षकार था। इस प्रकार [illegible] पर [illegible] दर्ज सभी निर्णय व डिकीयां अनुसार अंतिम निर्णय हो चुका है। जिसके [illegible] 1 ता 7 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालयो मे चा[illegible] तथ्यो को छिपा कर अधिनस्थ न्यायालय मे दावा पेश किया गया है। तथा गब्बू के अन्य [illegible]सो को प्रतिवादी बना दिया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मातहत अदालत द्वारा अपीलांट की और से पेश किये गये दस्तावेज एस डी ओ कोर्ट से लेकर उच्च न्यायालय के आदेश डिकीयो पर गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश होने के बाद उन्ही पक्षकारो व उसी विवादित जमीन के संबंध मे पुनः कोई आदेश जारी नही कर सकता है। अदालत मातहत ने दिनांक 15.1.19 को गलत तरीके से आदेश पारित किया है। दिनांक 15.1.19 को अपीलांट की ओर से दावा मे वकालतनामा पेश कर दिया गया और प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे हमारे वकील को दावा के साथ दिनांक 19.2.19 की पेशी दी गई। उनके तारीख पेशी ले जाने के बाद हमारे वकील को बिना सुने सायलान के वकील के कहे अनुसार प्रतिवादी न0 3 व 4 की तलबी बंद करके उसी दिन बहस सुनी गई। बहस भी सायल वकील श्री हेमराज सैनी व गैरसायल न0 1 के वकील की बहस सुन कर गलत तरीके से अपीलांट की बेक पर आदेश पारित कर दिया गया। मुझ प्रतिवादी न0 1 द्वारा अपना वकील बदल कर श्री श्यामप्रकाश गर्ग एड0को वकालतनामा पेश कर दिया था । इस प्रकार प्रतिवादी न0 1 व 2 व 5 के वकील को आदेश पारित करते वक्त सुना तक नही गया है और आरवेट्रेटरी रूप से सायल /रेस्पो0 से मिलकर आदेश दिया गया है जो मंसूख होने योग्य है। विवादित आराजीयात हम अपीलांट के खाते व कब्जे काश्त की है अदालत मातहत ने मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित करने मे अहम भूल की है। कोई स्पेशिफिक आदेश नही दिया गया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सन 2016 से तलबी मे चल रही थी अचानक की सायलान ने तलबी बंद करा कर उसी दिन बहस करके उसी दिन आदेश पारित कर दिया जो हर हाल मे प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होने से मंसूख होने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी परपिता नथुआ के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। यह आराजीयात सम्वत 1966 मे रतना वल्द नथुआ तथा लोहरे वल्द कसाले की खातेदारी व कब्जे काश्त मे रही है। जो खाता पर्चा खतौनी सम्वत 1966 से स्पष्ट है। सम्वत 1966 के बाद लोहरे बल्द कसाले लाऔलाद फौत हो गया तब सम्वत 1966 मे दर्ज आराजीयात साबिक ख0न0 के 1343,1344,1455,1456,1459,1439, 1438,1356,1438,1440,1441,1442,1357,1358,1355,1443,1354 मि0, 1448,1444,1445,1446,1458, 1456 मि0, 1455 मि0, 1638,1639,1636,1637,1653,1633,1635,1633,1642,1632,1653 मि0,1633मि0, 1634,1633 मि0,1653 मि0 एवं 1584 रतन पुत्र नथुआ के खातेदारी व काश्तकारी मे रही है। और रतन के फौत होने के उपरान्त उक्त आराजीयात सूका के वारिसान अपीलांट/गैरसायल संख्या 1 व 2 तथा 3 व 4 के पिता श्यामलाल एवं गब्बू पुत्र कुन्दन के बराबर बराबर खातेदारी व कब्जे काश्त मे रही है। और रेस्पो/सायलान का उक्त आराजीयात मे 1/8 हिस्सा रहा है किन्तु गब्बू की नादानी एवं सम्वत 1966 के रिकार्ड की अनउपलब्धता होने के कारण एवं इसका नाजायज फायदा अपीलांट/गैरसायलान न0 1 व 2 तथा 3 व 4 के पिता श्यामलाल ने रेस्पो0/सायलान की आराजीयात के 1/8 हिस्से को गलत तौर पर गैरसायलान रामजीलाल,छोटेलाल,श्यामलाल ने गब्बू के दीगर वारिसान से साज करके सायलान की खा[illegible] कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1497,1498 ,1583, 1585, 1586, 1587, [illegible] 1595,1596,1597, 1598, 1599, 1617,1618, 1619,1620, [illegible] 1900,1901,1902,1910, 1911,1912,1980, कुल किता 33 कुल रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा के 1/8 हिस्से को भी अपने नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

गलत आधार पर कराकर हम रेस्पा/सायलान को उनके उचित फल एवं अधिकारो से वंचित कर दिया जो गैर कानूनी है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो/सायलान द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग करने पर प्रथम दृष्टया केस सायलान/रेस्पो0 के पक्ष मे माना जाकर दिनांक 22.11.16 को अंतरिम स्थगन प्रदान किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के दिवस ही अपीलांट/गैरसायलान की ओर से बकालतनामा पेश किया गया था। अपीलांट का उक्त कथन मिथ्या है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय मे गैरसायलान संख्या 1,2,5 ता 8 की ओर से दिनांक 24.1.17 को ही वकालतनामा पेश किया जा चुका था। जिसकी पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.1.17 से होती है। इसी प्रकार अपीलांट का यह कथन भी मिथ्या है कि पत्रावली गैरसायलान संख्या 3 व 4 की तलबी मे नियत थी जिनकी तलबी कराये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय मे गैरसायलान 3 व 4 की तलबी सायल/रेस्पो0 के वकील द्वारा नही कराने के कारण बंद की गई है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के अधिवक्ता को सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील फरीकेन की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई है तथा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन होने एवं वादग्रस्त आराजीयात के हक एंव अधिकारो का निर्धारण दावे मे तय होने के कारण तथा उभयपक्षकारान के मध्य वाद वाहुलता नही बढे इसी कानूनी बिन्दु के मद्वेनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा कायम रखने हेतु उभयपक्षकारान को विधिवत रूप से पाबंद किया गया है। जो विधि सम्मत आदेश है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलाट द्वारा प्रस्तुत अपील गलत एवं गनगढन्त तथ्यो के साथ पेश की गई है। जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात मे सायल/रेस्पो0 द्वारा 1/8 हिस्से की घोषणा खातेदारी हेतु वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया हुआ है। जो उभयपक्ष का स्वीकृत तथ्य है। अपीलांट अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा 5 के वकील को सुने बिना ही आदेश पारित किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 24.1.17 के अवलोकन से स्पष्ट है अधिनस्थ न्यायालय मे गैरसायलान संख्या 1 व 2 तथा 5 ता 8 की और से दावे मे वकालतनामा पेश करने का अंकन है तथा निर्णय दिनांक 15.1.19 मे भी वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाने का अंकन है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन सही साबित नही होता है। हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है। वादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है यदि ... से हस्तान्तरित की जाती है तो विचाराधीन दावे मकसद ही समाप्त हो जावेगा। ... आराजीयात के हक एवं अधिकारो का निर्धारण अधिनस्थ न्यायालय मे ... तय हो सकेगे। उभयपक्ष के मध्य वाद वाहुलता नही बढे इसी कानूनी बिन्दु के मद्वेनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त आराजीयात की मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु उभयपक्ष को विधिवत रूप से पाबंद किया है। जो कानूनी रूप से विधिवत आदेश है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 29/16 मे पारित निर्णय दिनांक 15.1.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(लक्ष्मी कांत बालोत)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner